

# पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

## POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED



CIN No. L40101DL1989GOI038121

(A Government of India Enterprises)

उत्तरी क्षेत्र-III क्षेत्रीय मुख्यालय : Northern Region-III Regional Head Quarter

कार्यालय : 12, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226 001 (उ.प्र.) : दूरभाष : 0522-2205155 ई-मेल : rhq.nr3@powergrid.co.in

Office : 12, Rana Pratap Marg, Lucknow - 226 001 (U.P.) : Tel : 0522-2205155 E-Mail : rhq.nr3@powergrid.co.in

संदर्भ क्रमांक/दिनांक : 3/आर०टी०आई०/1449/

दिनांक: 24.12.2018

सेवा में,  
श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा  
पुत्र श्री जय नारायण शर्मा  
ग्राम - पिथा पोस्ट - पैठगाँव  
तहसील व जिला हाथरस

**विषय: जन सूचना अधिकार के संबंध में आपके पत्र दिनांक 01.11.2018 के संदर्भ में**

महोदय,


आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी का पत्र दिनांक 01.11.2018, पावरग्रिड लखनऊ कार्यालय को आगरा सब-स्टेशन के माध्यम से दिनांक 24.11.2018 को प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में मांगी गई बिन्दुवार जानकारी निम्नवत है :-

बिन्दु सं	मांगी गयी जानकारी	दी गयी जानकारी
01.	क्या विद्युत् विभाग द्वारा गाटा सं० 63 व 122 में से भूमि अधिग्रहण की गई है।	आपके द्वारा मांगी गयी सूचना से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मांगी गयी जानकारी किस पारेषण लाइन से सम्बन्धित है। तथापि आपको बताना चाहेंगे कि भारत विद्युत् अधिनियम 2003 एवं भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत पारेषण लाइन के निर्माण के दौरान, क्षतिग्रस्त फसल, पेड़ आदि का मुआवज़ा, प्रभावित किसान को देने का प्रावधान है किन्तु पारेषण लाइन हेतु भूमि अधिग्रहण मुआवज़े का कोई प्रावधान नहीं है।
02.	पोल नं० 227 भूमि में लगा खम्भा का मुआवजा किसके नाम दिया गया है ?	
03.	गाटा सं० 63 व 122 से लिया गया हिस्सा का मुआवजा कितने रु० का दिया गया है ?	

**प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:**

श्री आर० के० सिंह  
कार्यपालक निदेशक, पावरग्रिड उ० क्षेत्र - 3  
12 राणा प्रताप मार्ग  
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल  
लखनऊ - 226001

धन्यवाद,

भवदीय,  
  
[कैलाश कुमार गुप्ता]  
महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)  
पदांकित सी. पी. आई. ओ. - उ. क्षेत्र - 3,  
पावरग्रिड, लखनऊ